[14/3/2022] परिपत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न सं. [क्र. 2241 P5/08/2022/A-1/2

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **04/03/2022**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **14/03/2022** मध्य प्रदेश शासन गृह (पासपत्र) विभाग विभाग का नाम : **गृह**

विषय : **नागरिकता के लंबित प्रकरण।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **2241**) **श्रीदिलीप सिंह परिहार** पंजी क्र. 24

क्या **गृह मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि - दिनांक 21-02-2022

(क) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 796 दिनांक 17/03/2020 में गृह विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि इंदौर और भोपाल जिले सहित प्रदेश के 15 जिलों में पाकिस्तान से आये हिन्दु नागरिकों के 1245 नागरिकता के प्रकरण लंबित है? (ख) क्या यह भी सही है कि अधिकांश प्रकरण (1) आवेदन ऑनलाईन न आ पाने (2) आई.बी.रिपोर्ट न होने एवं (3) प्रकरण आई.व्ही.एफ.आर.टी. के माध्यम से कार्यवाही होने के आधार पर लंबित है? (ग) क्या भोपाल इंदौर को छोड़ शेष 12 जिलों के नागरिकता संबंधी अधिकांश मामले वर्ष 1997 से 2007 से उपरोक्त कारणों से लंबित हैं और बालाघाट जिले के 24 मामले वर्ष 2018 से मात्र इसलिये लंबित हैं कि पिछले 4 साल में पुलिस अधीक्षक, बालाघाट का स्पष्ट मत शासन को नहीं मिला है? यदि हां तो शासन किस प्रकार इस असाधारण विलंब को औचित्यपूर्ण मानता है? विशेषतः उस स्थिति में जब भारत सरकार दिसम्बर 2016 से ही प्रकरणों के शीघ्र निपटारे हेतु प्रयासरत है और अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन इंदौर और भोपाल के कलेक्टर्स को कर दिया है? (घ) क्या शासन कड़े निर्देश जारी कर सभी 15 जिलों के जिलाध्यक्षों से समय-सीमा में ऑनलाईन आवेदन भरवाकर संबंधितों की आई.बी. रिपोर्ट प्राप्त कर एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करवाकर लंबित मामले निपटाने की कार्यवाही करेगा? यदि हां तो कृपया समय-सीमा बतायें।

उत्तर :

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र.2241

माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री जी ।

उत्तर

(क) जी हाँ । पूर्ण दस्तावेज/आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाईन नहीं किए जाने/इन्टेलीजेंस ब्यूरो एवं पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने में समय लगने से प्रकरण वर्तमान में लंबित है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी हाँ । जिला बालाघाट के प्रकरण आवेदकों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर पूर्ण एवं सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लंबित है । भारत सरकार के निर्देशानुसार ही नागरिकता के प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) नागरिकता के लंबित प्रकरणों की सतत् निगरानी की जाकर शीघ्र निपटाने के प्रयास किये जा रहे है । समय–सीमा बताई जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें अनेक प्रकार के दस्तावेजों एवं विभिन्न जाँच एजेंसियों से आवेदकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी की सत्यता का प्रमाणीकरण करना अत्यन्त आवश्यक होता है ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
गृह [पासपत्र] विभाग.

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 2241 की पूरक जानकारी

भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 23.12.2016 एवं दिनांक 24.10.2018 में दिये गये निर्देशानुसार भारतीय नागरिकता के सभी प्रकरण ऑनलाईन के माध्यम से निराकृत किये जाना है । भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा दिये निर्देशानुसार शासन स्तर पर वर्ष 2016 से अब तक कुल 50 प्रकरण प्राप्त हुये थे, जिनमें से 13 प्रकरणों में भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है । शेष 37 प्रकरणों में पूर्ण दस्तावेज/आई0बी0 रिपोर्ट/पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने होने से प्रकरणों के निराकरण में असुविधा उत्पन्न हो रहीं है ।

जिला इंदौर में वर्ष 2016 से अब तक कुल 1234 प्रकरण प्राप्त हुए है जिनमें से 738 प्रकरणों में भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है एवं शेष 496 प्रकरणों में पूर्ण दस्तावेज/आई0बी0 रिपोर्ट/पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने होने से प्रकरणों के निराकरण में असुविधा उत्पन्न हो रहीं है ।

जिला भोपाल में वर्ष 2016 से अब तक कुल 85 प्रकरण प्राप्त हुए है जिनमें से 61 प्रकरणों में भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है एवं शेष 24 प्रकरणों में पूर्ण दस्तावेज/आई0बी0 रिपोर्ट/पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने होने से प्रकरणों के निराकरण में असुविधा उत्पन्न हो रहीं है ।

नोटः– उक्त समस्त आकड़े ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये गये है ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
गृह [परराज्य] विभाग.